न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 159/2019

वादी		प्रतिवादीगण
1 जोगाराम पुत्र जीयाराम जाति जाट निवासी खारिया तला तहसील व जिला बाडमेर।	बनाम	1 जीयाराम 2 चैनाराम पिसरान गुमनाराम जाति जाट निवासी खारिया तला तहसील व जिला बाडमेर 3 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 **RTA Act.**

उपस्थिति :– 1. श्री भोमाराम सियाग, वकील वादी।
2. श्री मेघाराम चौधरी, वकील प्रतिवादी संख्या 01।

निर्णय

दिनांक 23/10/19

संक्षिप्त में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 स्वर्गीय गुमनाराम के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादी, प्रतिवादी संख्या 01 जीयाराम के पुत्र होने से विधिक वारिस है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की पैतृक संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा खारिया तला पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 504 रकबा 41.19 बीघा, खसरा संख्या 530 रकबा 35.10 बीघा कुल रकबा 77.09 बीघा भूमि आई हुई है जिस पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का कब्जा काश्त है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 02 का 1/2 हिस्सा निहित है। वादी, प्रतिवादी संख्या 01 जीयाराम के विधिक वारिस है। वादी का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। अतः मौजा खारिया तला पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 504 रकबा 41.19 बीघा, खसरा संख्या 530 रकबा 35.10 बीघा कुल रकबा 77.09 बीघा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा निहित होने से खातेदारी का घोषित करवाने के अधिकारी है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि प्रतिवादी संख्या 01 जीयाराम का हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा के पक्ष में रहन है।

प्रतिवादी संख्या 01 की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। उक्त पैतृक भूमि में वाद में अंकित हिस्सा अनुसार वादी का हिस्सा है, जिसे घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपति नही है।

वादी जोगाराम द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र प्रस्तुत कर वाद पत्र एवं राजीनामा में अंकित तथ्यों की पुष्टी की, जिसे सामिल मिसल किया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादी का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादी को प्रतिवादी संख्या 01 जीयाराम के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए उपर्युक्तानुसार वादी का हिस्सा घोषित किया जावे। वकील प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा बहस के दौरान अवगत करवाया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है तथा वादी, प्रतिवादी संख्या 01 जीयाराम के जायन्दा पुत्र होने के नाते वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 जीयाराम के साथ वादी का जन्म से हिस्सा निहित है, जिसे घोषित करवाने के वादीगण अधिकारी है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न जामबन्दी सम्वत् 2012 से 2031 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 का भी अवलोकन किया गया। का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादी का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादी अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादी का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा खारिया तला पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 504 रकबा 41.19 बीघा, खसरा संख्या 530 रकबा 35.10 बीघा कुल रकबा 77.09 बीघा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 जीयाराम का हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा में रहन है। **अतः तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना रहन मुक्ति के पश्चात करें।** खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 23-01-19 .... को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर
सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

F:\SDM Barmer\Lalit JI Joshi\RTA 88\ORDER 88.docx

Scanned by CamScanner

प्रपत्र – 5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.) अन्तिम डिक्री

अनवान

वादी		प्रतिवादीगण
1 जोगाराम पुत्र जीयाराम जाति जाट निवासी खारिया तला तहसील व जिला बाडमेर।	बनाम	1 जीयाराम 2 चैनाराम पिसरान गुमनाराम जाति जाट निवासी खारिया तला तहसील व जिला बाडमेर 3 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा बाडमेर।

दावा बाबत् 88 रा.का.अ.
मुकदमा नम्बर :– 159 / 2019
निर्णय दिनांक :– 23.10.18

वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी संख्या 01 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख .... को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

अतः वादी का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा खारिया तला पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 504 रकबा 41.19 बीघा, खसरा संख्या 530 रकबा 35.10 बीघा कुल रकबा 77.09 बीघा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 जीयाराम का हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा में रहन है। **अतः तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना रहन मुक्ति के पश्चात करें।** खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह आज तारीख 23.10.18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

(नीरज मिश्र)
पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, बाडमेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्सप प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

F:\SDM Barmer\Lalit Ji Joshi\PD\PD Abhiyan.docx

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2019.12.05 15:13:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: